विषय तालिका

1. बिहार राज्य यातायात पुलिस की संरचना। (पृष्ठः—01—02)
2. सड़क दुर्घटनाएं : महत्वपूर्ण जानकारी। (पृष्ठः—03—05)
3. एक अच्छे वाहन चालक के गुण। (पृष्ठः—06—07)
4. सुनिश्चित करें सड़क पर आप दिखाई दें। (पृष्ठः—08)
5. सड़क पर आपकी सुरक्षा के लिए कुछ नियम और विनियम। (पृष्ठः—09—19)
6. पैदल यात्री, साइकिल चालक और स्कूल बस के लिए सुरक्षा सुझाव। (पृष्ठः—20—22)
7. सामान्य गलतियाँ सुधारें, ड्राइविंग बेहतर करें। (पृष्ठः—23)
8. कठिन परिस्थितियों में ड्राइविंग। (पृष्ठः—24—26)
9. सड़क दुर्घटना पीड़ित की मदद कर गुड समेरिटन कैसे बने। (पृष्ठः—27—29)
10. मोटर वाहन (संषोधन) अधिनियम, 2019—जुर्माने का प्रावधान। (पृष्ठः—30—34)
11. बिहार पुलिस को प्रदत्त अधिकार। (पृष्ठः—35)

TRAFFIC POLICE

1. बिहार राज्य यातायात पुलिस की संरचना

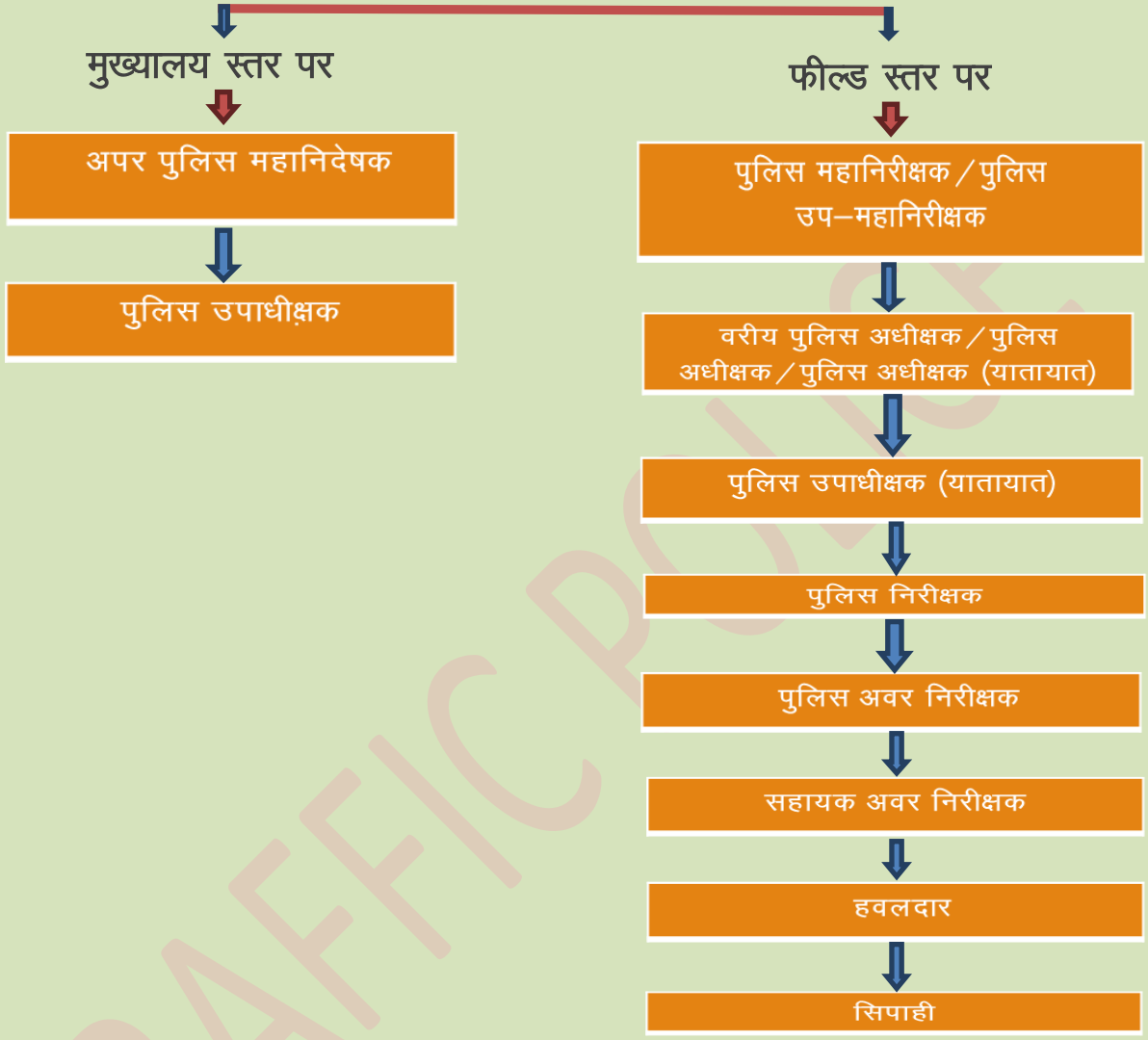

TRAFFIC POLICE

बिहार राज्य अन्तर्गत यातायात नियंत्रण हेतु स्वीकृत पदों की विवरणीः–

SL. No.	District	SP	Dy SP	Sergeant Major	Inspector	Sergeant	Sub-Inspector	Steno ASI	ASI	Havildar	Constable	Driver Constable	Wireless Operator	Total
1	पटना	1	3	1	3	2	56	—	42	72	634	—	6	820
2	भागलपुर	—	1	—	1	—	8	—	1	30	124	—	—	165
3	गया	—	1	—	2	—	9	—	—	50	200	18	—	280
4	मुजफ्फरपुर	—	1	—	1	—	8	1	—	30	120	4	—	165
5	नालन्दा	—	1	—	1	—	8	1	—	30	120	4	—	165
6	दरभंगा	—	1	—	1	—	8	1	—	30	120	4	—	165
7	पूर्णियॉ	—	1	—	1	—	8	1	—	30	120	4	—	165
8	भोजपुर	—	1	—	1	—	8	1	—	30	120	4	—	165
9	बेगुसराय	—	1	—	1	—	8	1	—	30	120	4	—	165
10	कटिहार	—	1	—	1	—	8	1	—	30	120	4	—	165
11	मुंगेर	—	1	—	1	—	8	1	—	30	120	4	—	165
12	सारण	—	1	—	1	—	8	1	—	30	120	4	—	165
13	किशनगंज	—	1	—	1	—	8	1	—	30	120	4	—	165
14	नावदा	—	1	—	1	—	8	1	—	30	120	4	—	165
15	सिवान	—	1	—	1	—	8	1	—	30	120	4	—	165
16	बक्सर	—	1	—	1	—	8	1	—	30	120	4	—	165
17	मधुबनी	—	1	—	1	—	8	1	—	30	120	4	—	165
18	जहानाबाद	—	1	—	1	—	8	1	—	30	120	4	—	165
19	औरंगाबाद	—	1	—	1	—	8	1	—	30	120	4	—	165
20	भभुआ	—	1	—	1	—	8	1	—	30	120	4	—	165
21	सुपौल	—	1	—	1	—	8	1	—	30	120	4	—	165
22	सहरसा	—	1	—	1	—	8	1	—	30	120	4	—	165
23	जमुई	—	1	—	1	—	8	1	—	30	120	4	—	165
24	रोहतास	—	1	—	1	—	8	1	—	30	120	4	—	165
25	बेतिया	—	1	—	1	—	8	1	—	30	120	4	—	165
26	वैशाली	—	1	—	1	—	8	1	—	30	120	4	—	165
27	अररिया	—	1	—	1	—	8	1	—	30	120	4	—	165
28	गोपालगंज	—	1	—	1	—	8	1	—	30	120	4	—	165
29	सीतामढ़ी	—	1	—	1	—	8	1	—	30	120	4	—	165
30	समस्तीपुर	—	1	—	1	—	8	1	—	30	120	4	—	165
31	लखीसराय	—	1	—	1	—	8	1	—	30	120	4	—	165
32	बांका	—	1	—	1	—	8	1	—	30	120	4	—	165
33	खगड़िया	—	1	—	1	—	8	1	—	30	120	4	—	165
34	मोतिहारी	—	1	—	1	—	8	1	—	30	120	4	—	165
35	मधेपुरा	—	1	—	1	—	8	1	—	30	120	4	—	165
36	अरवल	—	1	—	1	—	4	1	—	15	60	2	—	84
37	शिवहर	—	1	—	1	—	4	1	—	15	60	2	—	84
38	बगहा	—	1	—	1	—	4	1	—	15	60	2	—	84
39	शेखपुरा	—	1	—	1	—	4	1	—	15	60	2	—	84
40	नवगछिया	—	1	—	1	—	4	1	—	15	60	2	—	84
	Total	**1**	**42**	**1**	**43**	**2**	**349**	**37**	**43**	**1187**	**5098**	**156**	**6**	**6965**

2. सड़क दुर्घटनाएं : महत्वपूर्ण जानकारी

सड़क दुर्घटना किसी भी उपयोक्ता के लिए एक ना चाहने वाला हादसा होता है। अधिकतर सड़क उपयोक्ता सड़क के इस्तेमाल के बारे में सामान्य नियमों और सुरक्षा नियमों के बारे में अच्छी तरह परिचित नहीं होते है, जिस कारण दुर्घटनाएं एवं टक्कर होती है। हम कुछ दुर्घटनाओं के कारणों पर प्रकाश डाल रहे है जो चालकों के गलत आचरणों के कारण होती है, जैसेः–

- बहुत तेज गति से वाहन चलाना
- नशे में गाड़ी चलाना
- ड्राइवर का ध्यान बंटाने वाला विषय
- लाल बत्ती को लांघना
- सीट बेल्ट और हेलमेट जैसे सुरक्षा साधनों की उपेक्षा
- लेन में ड्राइविंग न करना और गलत तरीकें से ओवरटेकिंग

बहुत तेज गति से वाहन चलाना–अधिकतर घातक दुर्घटनाएं बहुत तेज गति के कारण होती है। गति में तीव्रता से वृद्धि, दुर्घटना का जोखिम और दुर्घटना के दौरान चोट की गंभीरता बढ़ाती है। कम गति से चलने वाले वाहनों की तुलना में तेज गति के वाहनों की दुर्घटना की संभावना अधिक रहती है और तेज गति में दुर्घटना की गंभीरता भी अत्यधिक होगी। गति जितनी अधिक, उतना ही अधिक जोखिम। बहुत तेज गति की स्थिति में वाहन रोकने के लिए अधिक दूरी यानि 'ब्रेकिंग डिस्टेन्स' की जरूरत पड़ती है। कम गति वाले वाहन कम दूरी पर ही रूक जाते है, जबकि तेज गति वाले वाहन लंबी दूरी के बाद ही रोके जा सकते है और फिसलते भी हैं। तेज गति से चलने वाले वाहन की टक्कर के दौरान गहरा प्रभाव होगा,इसलिए अधिक चोट लगेगी। तेज गति से चलाने पर फैसला लेने की क्षमता कम हो जाती है, जिसके चलते भूल हो जाती है और अंततः टक्कर हो सकती है।

नशे में गाड़ी चलाना–शराब के प्रभाव में वाहन चलाने से विनाशकारी परिणाम हो सकते है, निर्णय की एक क्षणिक चूक स्थायी त्रासदी में बदल सकती है। शराब के सेवन से ध्यान केन्द्रित करने में कमी आती है। इससे मानव शरीर तत्काल प्रतिक्रिया नहीं कर पाता। मस्तिष्क के निर्देश पर अमल में शारीरिक अंग अधिक समय लेते है। सिर चकराने से यह दृष्टि को कमजोर बनाता है। शराब डर कम करती है और जोखिम लेने को उकसाती है। इन सभी से दुर्घटनाएं होती है और कई बार ये घातक भी होती है। अल्कोहल के अलावा, कई नशीले पदार्थ एवं औषधियां ड्राइविंग संबंधी निपुणताओं और ध्यान केंद्रित करने पर प्रतिकूल असर डालती है। सर्वप्रथम, हम यही सलाह देंगे कि अल्कोहल का सेवन न करें। फिर भी, यदि आप अल्कोहल के बिना खुशी मनाना अधूरा महसूस करते है तो उसका सेवन करने पर वाहन न चलाए। शराब न पीने वाले किसी मित्र से आप उसे अपने घर पर छोड़ने को कहें।

ड्राइवर का ध्यान बंटाने वाली विषय–गाड़ी चलाते समय थोड़ा सा भी ध्यान बंटने से बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती है। ध्यान बंटाने वाले कारण वाहन के बाहर या भीतर हो सकते है, जैसे वाहन चलाते समय मोबाइल फोन पर बातचीत करना। फोन पर बात करते समय, हमारा दिमाग भाषा प्रसंस्करण, स्मृति, ध्यान और निर्णय लेने सहित कई संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में संलग्न होता है, जिसके लिए महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक संसाधनों की आवश्यकता हो सकती है, जो सुरक्षित रूप से ड्राइव करने की हमारी क्षमता को कम करती है। यदि टेलीफोन अत्यावश्यक हो तो सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी कर बातचीत करें। **सड़क पर ध्यान हटाने वाली कुछ अन्य बातें इस प्रकार हैः–**

- ड्राइविंग करते समय शीशे समायोजित करना।
- वाहन में स्टीरियो/रेडियों को चलाना।
- सड़क पर जानवर
- विज्ञापन और सूचना पट्ट
- वाहन चलाते हुए खाना/पीना।

इन चीजों से ड्राइवर को अपना ध्यान भंग नहीं करना चाहिए और मार्ग परिवर्तन (डायवर्जन) एवं ध्यान बंटाने वाली बाहरी विषयों के दौरान सुरक्षित रहने के लिए गति धीमी रखनी चाहिए।

लाल बत्ती को लांघना–ट्रैफिक लाइट जंप करना एक खतरनाक और अवैध व्यवहार है जो चालकों और अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के जीवन को खतरे में डालता है। स्पष्ट जोखिमों के बावजूद, कुछ चालक लाल बत्ती के दौरान यातायात संकेतों ओर चौराहों को अनदेखा करते है। अध्ययन दर्शाते है कि यातायात संकेतों का पालन करने पर ड्राइवरों के समय की बचत होती है और यात्री सुरक्षित एवं समय से गंतव्य पर पहुंचते है। लाल बत्ती लांघने वाला व्यक्ति न सिर्फ अपना स्वयं का जीवन जोखिम में डालता है, बल्कि सड़क के अन्य प्रयोक्ताओं की सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा करता है। एक ड्राइवर की यह प्रवृति दूसरे ड्राइवर को भी लाल बत्ती लांघने के लिए उकसाती है और अंततः क्रॉसिंग पर अराजकता पैदा होती है। चौराहे (इंटरसेक्शन) पर यह अराजकता यातायात जाम का प्रमुख कारण है। अंततोगत्वा प्रत्येक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर देर से पहुंचता है। यह भी देखा गया है कि लाल बत्ती लांघने वाले अक्सर सड़क दुर्घटना के शिकार हो जाते है।

सीट बेल्ट और हेलमेट से सुरक्षा साधनों की उपेक्षाः–

चार पहियों के वाहन में हर सवारी के लिए सीट बेल्ट अब अनिवार्य है और इसे न बांधने पर दंडित किया जाता है। यही बात दुपहिया वाहनों में हेलमेट न लगाने पर लागू होती है। हमें चाहिए कि निर्धारित मानकों (विशेष रूप से ISI मार्क) वाले हेलमेट का इस्तेमाल करें व उसे ठीक से बांधे और पूर्ण रूप से सुरक्षित रहें।

पर्यावरण पर यातायात के हानिकारक प्रभावः–

1. सुरक्षा 2. शोरगुल 3. जाम व भीड़–भाड़ 4. वायु प्रदुषण 5. सौंदर्य बिगाड़ना।

सड़क पर विभिन्न कारणों से किस प्रकार दुर्घटनाएं होती हैः–

ड्राइवर–बहुत तेज गति से गाड़ी चलाना, अंधाधुंध ड्राइविंग, नियमों का उल्लंघन, चिन्ह न समझना, थकान, मदिरापान।

पैदल यात्री–लापरवाही, गलत जगहों पर सड़क पार करना, वाहन मार्ग पर चलना, यातायात के नियमों का उल्लंघन करते हुए सड़क पार करना।

यात्री–यात्रियों द्वारा अपने शरीर का कोई भाग बाहर निकालना, ड्राइवर के साथ बातचीत करना, गलत तरफ से नीचे उतरना और चढ़ना, पायदान पर रहकर सफर करना, दौड़कर बस पकड़ना, हेलमेट/सीट बेल्ट का प्रयोग न करना।

वाहन–ब्रेक या स्टीयरिंग का फेल होना, टायर फटना, अपर्याप्त हेडलाइटे, ओवरलोडिंग (अधिक वजन लदान), लदे सामान का वाहन से बाहर निकला हुआ होना।

सड़क–गहरे गड्डे, क्षतिग्रस्त सड़क, कटी सड़क, ग्रामीण सड़कों का राजमार्गो से मिलना, मार्गपरिवर्तन (डायवर्जन), अवैध गति अवरोधक। अनुचित संकेत व चिन्ह, खराब प्रकाश व्यवस्था, खराब जामिति।

मौसम–कोहरा, बर्फ, भारी वर्षा, आंधी–तूफान, ओलावृष्टि।

दुर्घटनाओं के सीधे परिणामः–

1. गंभीर चोट (मृत्यु) 2. चोट 3. अपंगता 4. सम्पत्ति की हानि।

****

TRAFFIC POLICE

3. एक अच्छे वाहन चालक के गुण

एक अच्छा चालक होने के लिए केवल वाहन को नियंत्रित करना ही नहीं अपितु अच्छे पूर्वानुमान गुण, सड़क पर खतरों को भांपने व समझने की अभिरूचि तथा क्षमता भी होनी चाहिए।

सड़क दुर्घटनाओं में अनेक लोगों की मृत्यु अनुभव की कमी, वाहन की तीव्र गति, मदिरा/नशीले पदार्थो का सेवन, जल्दी पहुँचने की बेचैनी आदि, कारण है।

जब कभी जहां–कहीं आप वाहन चलाएं:–

- **अपनी गति का ध्यान रखें**–सड़क के प्रत्येक भाग के लिए गति सीमा निर्धारित होती है, जिसका निर्धारण वैज्ञानिक विधि द्वारा किया जाता है। इस सीमा के किसी प्रकार का उल्लंघन चालक को जोखिमपूर्ण स्थिति में पहुँचा सकता है। तीव्र गति से चलने वाले वाहन को धीमी गति से चलने वाले वाहनों की तुलना में अधिक ब्रेकिंग दूरी की आवश्यकता होती है। ऐस में मस्तिष्क द्वारा दूरी का दृश्य परिकलन करने में गड़बड़ी होती है। जब आप सीमा गति से अधिक तीव्रता से वाहन चलाते है तो ईधन की खपत अधिक होती है और आपके/अन्यों के जीवन को भी खतरा होता है।
- **विभिन्न सड़क प्रयोक्ताओं का सामना करना**–जिस सड़क का आप प्रयोग कर रहे है उसे अपनी सम्पत्ति न समझें। आपको सड़क पर ऐसे अनेक सह–चालक या प्रयोक्ता मिल जाएंगे जिनका स्वभाव, परिवेश तथा शिष्टाचार आदि आप जैसा न हो। आप सड़क पर इन सभी प्रकार के प्रयोक्ताओं का सामना करते है। इस प्रकार, ड्राइविंग केवल सड़क पर वाहन चलाना ही नहीं है बल्कि धैर्य और दया की आदतों को विकसित करना भी है। सड़क पर आपका सामना झगडालू चालकों, बत्तमीजी करने वाले, परेशान करने वाले, शराबी चालकों से हो सकता है। आपको पर इन सभी का सामना करना पड़ेगा और तभी आप स्वयं को एक अच्छा चालक मान सकते है।
- **धैर्य रखे**– एक अच्छे चालक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है धैर्यवान बने रहना। आतुर चालक प्रायः गलतियां करते है। ऐसे चालक लाल बत्ती को पार करते है, दूसरी गाड़ियों से चिपक कर चलते है और थोड़ा सा उकसाने से ही परेशान हो जाते है। इससे वे सड़क पर अत्यंत असुरक्षित बन जाते है।
- **दूसरे प्रयोक्ताओं को समय और स्थान दे**–अगर आप लाल बत्ती पर हॉर्न बजाते है, आपको अपनी आदत सुधारनी होगी। कई बार सड़क पर कुछ चालक धीमी गति पर चलते है और अन्य चालक हॉर्न बजा–बजाकर उन्हें परेशान करते है तथा उनसे आगे निकलने का प्रयास करते है। वह नौसिखिया हो सकता है या उसने ड्राइविंग अभी हाल ही में आरंभ की या उसकी कार में कुछ समस्या भी हो सकती है। यदि आप निरंतर हॉर्न बजाते रहेंगे तो वह घबराकर सड़क पर कुछ गलती कर सकता है। हर कोंई जन्म से ही चालक नहीं होता, इसलिए ड्राइविंग सीखने से दूसरे की मदद करें और सड़क पर धैर्य रखे।

- **अन्यों की गलती के लिए तैयार रहें**–आप एक कुशल चालक हो सकते है किन्तु यह आशा न करें कि सड़क पर अन्य सभी कुशल चालक हों। वे गलती कर सकते है और आपको उसकी गलती का खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसलिए आप दूसरों की गलती का हर्जाना भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। किसी भी स्थिति में उत्तेजित न हों और शांतिपूर्ण ढंग से स्थिति से निपटें। क्रोध में लिया गया निर्णय सदैव ही गलत होता है।
- **अपनी ड्राइविंग पर ध्यान केन्द्रित करें**–एकाग्रता ड्राइविंग का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। संगीत, सेल फोन, बातूनी साथी या बड़े बिलबोर्डो व होर्डिगों आदि से आपका ध्यान भंग न होन दें। वाहन चलाते समय कभी भी मोबाइल फोन का प्रयोग न करें। इनसे आप सड़क पर आसानी से ध्यान खो सकते है।

****

TRAFFIC POLICE

4. सुनिश्चित करें सड़क पर आप दिखाई दें

दृश्यता वह क्षमता और परिस्थिति है जिससे सड़क प्रयोक्ता अन्य सड़क प्रयोक्ताओं को नजर आता है। देखना व दूसरों को दिखाई देना सभी सड़क प्रयोक्ताओं की सुरक्षा के लिए मूल आधार है। चालक द्वारा अन्य सड़क प्रयोक्ताओं को देर से देख पाना सड़क दुर्घटनाओं का एक सामान्य कारण है। वाहनों के चालकों और यात्रियों की तुलना में सड़क यातायात से लगने वाली चोटों का खतरा पैदल/अन्य उपयोक्ताओं को अधिक होता है।

रात में सड़क में पैदल चलने वालों और साइकिल चालको को देख पाना कठिन होता है, विशेष रूप से धुंध तथा वर्षा की परिस्थितियों में। चूँकि बच्चों का शारीरिक आकार छोटा होता है इसलिए सड़क पर उनके दिखाई न देने का खतरा और अधिक होता है।

साइकिल सवार जरूर उपयोग करेः–

- अगला, पिछला तथा पहियों पर रिफ्लैक्टर
- साइकिल लैंप या लाइट
- रिट्रो–रिफ्लैक्टिव जैकेट या हल्के रंग/चमकदार वस्त्र
- आगे की लाइट, पीछे की लाल लाइट और पीछे लाल रिफ्लैक्टिर के बिना साइकिल चलाना अत्यंत खतरनाक है, इसलिए सुनिश्चित करें कि आपकी साइकिल में सभी आवश्यक उपकरण लगे है और वह सुचारू रूप से काम कर रहे है।

सुदृश्य बने रहने के लिए बच्चों व पैदल यात्रियों को सड़क का प्रयोग करते समय इन महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देंः–

- सुनिश्चित करें कि दूसरों को आप आसानी से नजर आएं, विशेष रूप से रात्रि ओर खराब मौसम में।
- दिन के समय चमकदार या फ्लोरोसेंट वस्त्र सर्वोत्तम होते है, विशेष रूप से धुंध के मौसम के दौरान।
- रात्रि के समय, रिफ्लैक्टिव सामग्री सर्वोत्तम होती है और कार की हेडलाइट की रौशनी को परावर्तित करती है।
- रात्रि या अंधेरे में फ्लोरोसेंट वस्त्र प्रभावी नहीं होते है। कपड़ों, स्कूल बैगों ओर उपकरणों पर रिफ्लैक्टिव टेप को चिपकाया जा सकता है।
- जहां तक हो सके सुरक्षित स्थान से ही सड़क पार करें जैसे जैब्रा या पैलिकन क्रासिंग, सड़क ऊपरी पुल या अंडरपास।
- ग्रीन क्रास कोड का ही प्रयोग करेंः अर्थात **रूकें, देखें, सुनें और चलें।**
- यदि आप रात्रि में बाहर निकले है तो उन मार्गो का प्रयोग करें जहां स्ट्रीटलाइट द्वारा व्यापक प्रकाश उपलब्ध हो और सुप्रकाशित स्थान से ही सड़क पार करें।

****

5. सड़क पर आपकी सुरक्षा के लिए कुछ नियम और विनियम

1. **अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं और साधारण जनता के प्रति कर्तव्यः**—कोई भी यान सार्वजनिक स्थल पर इस तरीके से चलाया, रोका या खड़ा नहीं किया जाएगा, जिसके कारण अन्य सड़क उपयोगकर्ता की सुरक्षा को खतरा, या असुविधा होने की संभावना हो सकती है।
2. **चालकों और सवारियों के कर्तव्यः—**
   (1) प्रत्येक चालक हर समय पूरी देखभाल और सावधानी के साथ यान चलाएगा।
   (2) चालक यान चलाते समय यह सुनिश्चित करेगा कि उसकी शारीरिक और मानसिक क्षमताएं उसके पूर्ण नियंत्रण में है और शारीरिक और मानसिक रूप से यान चलाने के लिये पूरी तरह सक्षम है।
   (3) चालक हर समय सड़क और यातायात पर अपनी पैनी नजर बनाकर रखेगा और पूरा ध्यान केंद्रित करेगा ताकि किसी भी समय ध्यान भंग/भटकने की स्थिति उत्पन्न होने या उसकी संभावना से उसका ध्यान भटकने से बच सके।
   (4) चालक और यात्री पैदल चलने वालों, साइकिल चालकों, बच्चों, बुजुर्गो और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के रूप में सबसे कमजोर सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष देखभाल और सावधानी के साथ यान चलाएंगे।
   (5) चालक यह सुनिश्चित करेगा कि यान चलाते या उसे स्थिर स्थिति में खड़ा करते समय, अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं या किसी सम्पत्ति के स्वामी को ऐसा करने के कारण किसी प्रकार की बाधा या अनुचित असुविधा न हो।
   (6) चालक यह सुनिश्चित करेगा कि उसकी दृष्यता बाधित न हो और उसकी सुनने की शक्ति यान के यात्रियों, पशुओं, भार, यान में रखे उपकरण या यान की स्थिति के कारण प्रभावित न हो।
   (7) चालक यह सुनिश्चित करेगा कि वह और यान के अन्य सवार सीट बेल्ट बांध लें, यदि यान में वह प्रदान किये गये है।
   (8) चालक यह सुनिश्चित करेगा कि बारह वर्ष से कम उम्र के बच्चों को उपयुक्त बच्चों की सुरक्षित प्रणाली में बिठाया गया है, जहां भी वह प्रदान किये जाते है।
   (9) जहां कहीं भी किसी मोटरसाइकिल साइडकार के साथ या उसके बिना प्रदान की जाती है या विधि के अंतर्गत, पिछली सीट पर बैठा सवार और साइडकार पर बैठे सवार को सुरक्षात्मक सिर के उपकरण (हेलमेट) या कानून के अंतर्गत उस समय निर्दिष्ट किसी अन्य सुरक्षात्मक उपकरण पहनना होगा।
   (10) चालक यह सुनिश्चित करेगा कि यान में तेज संगीत नहीं चलाया जाएगा।
   (11) यान चलाते समय चालक डिजिटल गतिशील पिक्चरें या वीड़ियों नहीं देखेगा, सिवाय जहां मार्ग प्रदर्शन के लिए ऐसा करना आवश्यक है परंतु चालक उस उपकरण का मार्ग प्रदर्शन के लिये इस तरीके से इस्तेमाल करेगा कि उसका ध्यान यान चलाते समय भटक न जाए।

TRAFFIC POLICE

(12) चालक को तत्समय प्रचलित शराब और नशीली दवाओं और धूम्रपान निषेद्ध से संबंधित सभी विधियों का सख्ती से पालन करना होगा, और वह सुनिश्चित करेगा कि अन्य दल, सवार और यात्री, यदि कोई है, वह भी इनका अनुपालन करेंगे।

(13) यान पर बैठते और उसमें से बाहर निकलते समय चालक अपनी और अपनी सवारियों की देखभाल करेगा, ताकि वह अपने साथ अन्य कर्मचारीवृंद, यात्रियों तथा अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें।

(14) चालक किसी भी सार्वजनिक स्थान में ऐसा यान नहीं चलाएगा, जो उसके ज्ञान में, साधारण देखभाल करते समय दोषपूर्ण पाया जाता है, और कथित दोष के कारण यान चलाने से यान के स्वामी के या अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा को अनुचित खतरा उत्पन्न होने की संभावना हो सकती है।

(15) यदि यान चलाते समय उसमें कोई तकनीकी त्रुटि आ जाता है, तब जितनी जल्दी संभव होगा चालक यान को तुरन्त सड़क से सुरक्षित रूप से दूर ले जाएगाः परंतु कि बैटरी चालित दुपहिया यान चलाते समय कोई तकनीकी त्रुटि पाए जाने की स्थिति में सुरक्षा के साथ बाहर निकाला जा सकता है।

(16) मोटर साइकिल या तिपहिया पर सवारी करते या चलाते समय, चालक या सवारी किसी अन्य यान को न पकड़ेगा या न ही धक्का देगा।

(17) मोटर साइकिल या तिपहिया यान चालक हर समय अपने दोनों हाथ से हैंडल पकडकर रखेगा।

(18) चालक अपने पेर पैडल या फुटरेस्ट से केवल उस समय हटायेगा जब सड़क की स्थितियां या सुरक्षा ऐसा करने के लिये आवश्यक है।

3. सिग्नलों के संकेतः–

(1) चालक स्पष्ट रूप से बांए या दांए मुड़ने और किसी कौशल करने से पहले अपनी लेन बदलने के इरादे का यान में लगे यांत्रिक या बिजली उपकरणों को उपयोग कर या हाथ से संकेत करेगा।

(2) किसी मामले में यदि यान में यांत्रिक या विधुत संचालित उपकरण नहीं लगाए गये या, कथित उपकरण लगाए गये है लेकिन वे काम नहीं कर रहे हैं, चालक निम्न निर्दिष्ट किये अनुसार हाथ से संकेत देगाः–

(i) यान रोकने के लिए, चालक को दांई ओर अपना दायां हाथ यान के बाहर निकालकर लंबवत उठाना होगा,

(ii) दांई ओर मुड़ने या अन्य यान को पार कर सड़क के दांई ओर यान चलाने के लिये या किसी अन्य कारण, चालक को अपना दांया हाथ चालक यान के बाहर निकालकर अपने यान के दांई ओर क्षैतिज स्थिति में आगे हथेली की स्थिति में उठाना होगा,,

TRAFFIC POLICE

(iii) बाई ओर मोड़ने या सड़क के बाएं हाथ की ओर यान चलाने के लिए, चालक को अपने दाहिना हाथ बाहर निकालकर वामावर्त दिशा में घुमाना होगा,,

(iv) चालक अपने पीछे आने वाले यान को पिछेलना करने का संकेत दे सकता है, ऐसा करने के लिये चालक अपना दांहिना हाथ यान के दांई ओर क्षैतिज अवस्था में बाहर निकालेगा, ओर अर्ध–गोलाकार लय में आगे और पीछे घुमाएगा।

4. **यातायात नियंत्रण सिग्नल**–यातायात नियंत्रण सिग्नलपर पहुंचते समय, यान को अपनी गति धीमी करनी होगी और निम्न रीति से दिये गये नियंत्रण सिग्नलों का अनुपालन करना होगा अर्थात्:–

(1) लाल यातायात बत्ती–

(क) एक चौराहे पर या चौराहे के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर यातायात नियंत्रण सिग्नल की लाल बत्ती के सामने, पैदल पार पथ से पहले रूकने की रेखा से पहले यान को रोकना होगा

(ख) यदि रूकने की रेखा चिन्हित नहीं की गई है या, यदि चिह्ति की गई है मगर दिखाई नहीं दे रही है, यान पैदल पार पथ से पहले रोकना होगा

(ग) यदि वहां पर कोई पैदल पार पथ चिन्हित नहीं है, यान प्राथमिक यातायात सिग्नल से पहले रोकना होगा

(घ) यातायात सिग्नल की हरी बत्ती बदलने पर यान को सावधानी के साथ आगे बढ़ाना होगा

(ड) जब, एक चौराहे पर या चौराहे के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर, यातायात नियंत्रण सिगनल द्वारा निरंतर लाल बत्ती जल्दी रूक–रूक कर चमकती है, सिग्नल पर प्रतीक्षा करने वाला यान,–

(i) पैदल पार पथ से पूर्व रूकने की रेखा से पहले रोकना होगा

(ii) यदि रूकने की रेखा चिन्हित नहीं है, या चिन्हित है पर दृष्य नहीं है, यान को पैदल पार पथ से पूर्व रूकने की रेखा से पहले रोकना होगा

(iii) यदि वहां चौराहे पर पैदल पार पथ से पूर्व रूकने की रेखा चिन्हित नहीं है तब आप प्राथमिक यातायात सिग्नल से पहले यान को रोकेंगे

(iv) पहले पैदल चलने वालों और प्रमुख सड़क पर चलने वाले यानों को रास्ते का अधिकार देने के बाद सिग्नल को पार कर यान आगे ले जाए

(च) खंड (क) से (घ) में निहित होते हुए भी, एक मोटरयान बांई ओर मुड़ सकता है और चौराहे पर उसके दांई ओर से आने वाले यातायात और बांई ओर से चौराहा पार करने वाले पैदल और साइकिल चालकों को रास्ते का अधिकार देने के बाद आगे बढ़ सकता है जब तक यातायात नियंत्रित उपकरण या सड़क का कोई संकेत लाल बत्ती जलने तक बांई ओर मुड़ना निषिद्ध नहीं करता,

TRAFFIC POLICE

(2) हरी यातायात बत्ती,–

(क) जब एक चौराहे या चौराहे के अतिरिक्त अन्य यातायात नियंत्रित सिग्नल पर हरी बत्ती जल रही या चालू है, हरी बत्ती के सामने मोटर यान,–

(i) यदि आगे का रास्ता साफ है तब यान को चौराहे में या पैदल पार पथ पर आगे ले जाएगा

(ii) यदि किसी मामले में यातायात नियंत्रित सिग्नल द्वारा हरा दिशा तीर भी प्रदर्शित किया गया है तब केवल हरे दिशा तीर संकेत दिखाई देने पर यान को उस दिशा में आगे बढ़ाए

(iii) चौराहे के भीतर या पैदल पार पथ के बगल में उपस्थित किसी भी पैदल यात्री, और किसी अन्य यान को रास्ता दें जो हरी बत्ती बदलने के समय चौराहे के भीतर उपस्थित है

(ख) जब, एक चौराहे पर, यातायात नियंत्रित सिग्नल द्वारा लगातार तेजी से रूक रूक कर हरे चमकते तीर के सिग्नल का सामना करने वालेमोटर यान पहले पैदल चलने वालों, साइकिल चालकों और जिस मार्ग पर चालक यान ले जा रहा है उसमें मिलने वाले मार्ग पर रास्ता देने के बाद प्रदर्शित किये गये तीर की दिशा में यान आगे बढ़ाएगा।

(3) पीली यातायात बत्ती,–

(क) जब, एक चौराहे पर या एक चौराहे के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर, किसी यातायात नियंत्रित सिग्नल पर पीली रोशनी होती है, पीली रोशनी के सामने आने वाला यान पैदल पार पथ से पूर्व रूकने की रेखा से पहले यान को रोक देगा,

(ख) यदि रूकने की रेखा चिन्हित नहीं है या, यदि चिन्हित रेखा दिखाई नहीं देती, यान को पैदल पार पथ से पहले रोकना होगा। परंतु यदि कोई चिन्हित पैदल पार पथ न होने पर, यान प्राथमिक यातायात बत्ती के सिग्नल से पहले रूकेगा जब तक वह रूकने की रेखा को पार नहीं कर जाता या रूकने की रेखा के बहुत निकट पहुंच गया है कि अचानक यान रोकने के कारण पीछे से आने वाले यानों के साथ टकराने का खतरा हो सकता है।

(ग) चौराहे पर यातायात नियंत्रित सिग्नल पर तेजी से रूक रूक कर चमकने वाली पीली रोशनी के सामने या चौराहे के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर यान को धीमा कर देगा और चौराहे पर या पैदल पार पथ पर बड़ी सावधानी के साथ पैदल यात्रियों और अन्य यानों को जो उससे पहले चौराहे पर है रास्ता देकर आगे यान ले जा सकता है।

1. मैनुअल यातायात नियंत्रण–

(1) जहां चौराहे पर या उसके अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर वर्दी में एक पुलिस अधिकारी या कोई अन्य अधिकृत व्यक्ति यातायात नियंत्रित करता है, चालक को अपना यान धीमा करना होगा और कथित अधिकारी या व्यक्ति के निर्देषों का पालन करना होगा।

(2) जहां वर्दी में एक पुलिस अधिकारी या किसी अन्य अधिकृत व्यक्ति द्वारा ''रूकने'' का सिग्नल दिया जाता है, चालक अपना यान पैदल पार पथ से पूर्व रूकने की रेखा से पहले रोक देगा।

TRAFFIC POLICE

(3) किसी मामले में ''रूकने'' की रेखा चिन्हित नहीं है या, यदि चिन्हित है पर दिखाई नहीं दे रही, चालक अपना यान पैदल पार पथ से पूर्व रोक देगा।

(4) किसी मामले में पैदल पार पथ चिन्हित नहीं है, चालक अपना यान गंतव्य सड़क के पास चौराहे पर रोक देगा।

(5) जब एक यान वर्दी में पुलिस अधिकारी या किसी अन्य अधिकृत व्यक्ति द्वारा दिए गए संकेत के अनुपालन में ''रोक'' दिया गया है, वह तब तक आगे नहीं बढ़ाया जाएगा जब तक कथित अधिकारी या व्यक्ति द्वारा आगे बढ़ने का संकेत नहीं दिया जाता।

6. सुरक्षित दूरी बनाए रखना–

(1) अन्य यान के पीछे यान का चालक यातायात की अनुपातिक स्थिति के साथ अपने आगे चलने वाले यान के पीछे पर्याप्त सुरक्षित दूरी बनाए रखेगा ताकि यदि आगे चलने वाला यान अचानक धीमा हो जाता है या रूक जाता है तब वह सुरक्षित रूप से रूकने में सक्षम हो सके।

(2) जब आपके पीछे दूसरा यान चल रहा है, चालक बिना किसी अकाटय कारण के अचानक अपने यान को ब्रेक नहीं लगाएगा।

(3) वर्षा, बर्फबारी या सड़क पर किसी गंभीर तूफानी मौसम या अन्य प्रतिकूल मौसम की स्थिति के दौरान, चालक आगे चलने वाले यान से थोड़ी ज्यादा दूरी बनाए रखेगा।

7. पीछे यान चलाने पर प्रतिबंध (विपरीत दिशा में)–

(1) कोई भी चालक सड़क या यान स्थान में या किसी भी अन्य सार्वजनिक स्थल पर पीछे की ओर (विपरीत दिशा में) यान नहीं चलाएगा, परंतु चालक को यान पीछे करते समय यह सुनिश्चित करना होगा कि यान को पीछे करते समय किसी भी तरीके से किसी अन्य सड़क उपयोगकर्ता की सुरक्षा को खतरा या अनुचित असुविधा तो नहीं होगी, और इस प्रकार यान को पीछे करने की गतिविधि की दूरी और अवधि उतनी हो सकती है जो यान को घुमाने के लिये यथोचित आवश्यक होगी।

(2) सार्वजनिक सड़क पर कोई भी मोटर यान विपरीत दिशा में नहीं चलाया जाएगा।

(3) ''एक तरफा रास्ते'' के रूप में नामित सड़क में कोई भी मोटर यान पीछे की ओर नहीं चलाया जाएगा।

8. पहाड़ पर चढाई करने वाले यानों को प्राथमिकता दी जाएगी–

(1) पहाड़ी और खड़ी सड़कों पर, जहां सड़क पर्याप्त रूप से चौड़ी न होने के कारण मोटर यानों को एक साथ एक दूसरे को बिना व्यवधान पहुंचाए पार करने में सक्षम नहीं करती, नीचे उतरने वाले यान का चालकः–

(क) सड़क के बाई ओर यान खड़ा करेगा, और

(ख) पहले ऊपर की ओर आगे बढ़ने/चढ़ने वाले यान को पार करने की अनुमति देगा।

9. संज्ञापक आदेश–

(1) वर्दी में एक पुलिस अधिकारी या राज्य सरकार का प्राधिकृत अधिकारी, यानकों तकनीकी उपकरणों के सिग्नल देकर या सिग्नल डिस्क या लाल बत्ती के माध्यम से यान के स्वास्थ्य प्रमाणपत्र का सत्यापन करने के लिये उसे, या उसमें बैठे किसी यात्री के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए यान को रोक सकता है, और यान के स्वामी या चालक को कथित अधिकारी के निर्देषों का पालन करना होगा।

(2) प्रत्येक चालक को आज्ञापक संकेतकों, सड़क चिन्हों और सक्षम प्राधिकारी या वर्दी में पुलिस अधिकारी या उस समय ड्यूटी पर तैनात किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा संचालित सिग्नल देने के उपकरणों के माध्यम से दिये गये निर्देशों का पालन करना होगा।

(3) उस समय बावजूद किसी अन्य नियम या किसी अन्य आदेश, सड़क संकेत, चिन्ह या यातायात बत्ती सिग्नल के लागू नहीं होते हुए, और चालक का सावधानी और देखभाल करते हुए अपने कर्त्तव्य का निर्वहन करने पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, चालक को यातायात

संचालित करने के संबंध में वर्दी पहने पुलिस अधिकारी के संकेतों या निर्देशों का पालन करना होगा।

(4) चालक को यातायात संचालित करने के संबंध में उस समय वर्दी पहने ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी के मौखिक निर्देशों और संकेतों का पालन करना होगा, जिसमें रूकने या यान को पीछे करने या धीमा करने या वापस मोड़ने या किसी विनिर्दिष्ट दिशा में ले जाने या यान को यातायात की किसी पंक्ति में रखने का निर्देश शामिल है जैसा कथित पुलिस अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।

10. किसी प्रदर्शन के पास से गुजरना–

(1) जब किसी प्रदर्शन के पास से गुजरती है जैसे किसी के संस्कार और अन्य जुलूस या सैन्य टूकड़ी या पुलिस दल द्वारा मार्च करते हुए, या जानवरों के झुंड या घोड़े की जीन या मवेशियों के पास से गुजर रहे है, चालक यान की गति को कम कर देगा और धीरे–धीरे सावधानी के साथ यान और प्रदर्शन के बीच पर्याप्त जगह छोड़कर पार कर जाएगा।

(2) यदि उप–विनियम (1) वर्णित प्रदर्शन यान के आगे की सड़क पर गुजर रहा है, या वहां से गुजरने वाला है, तब चालक यान को रोक देगा ओर प्रदर्शन को पहले गुजर जाने देगा और उसके वहां से गुजरने तक यान नहीं चलाएगा।

11. यातायात में रूकावट पर रोक–

जब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिनियम या उसके लिये बनाए नियमों के अन्तर्गत विधिमान्य अनुज्ञा नहीं दी है, कोई भी चालक नहीं करेगा–

(क) सड़क पर माल या किसी भी तरह की सेवाएं प्रदान करना, या

(ख) यान पर किसी विज्ञापन का प्रदर्शन।

12. आपातकालीन सेवाओं के लिए नामित यान–

(1) राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 108 के उप–नियम (4) के अंतर्गत आपातकालीन सेवाओं के लिये नामित एक यान का चालक, जिसमें एम्बुलेंस के रूप में उपयोग किया जाने वाला यान या अग्निशमन या कबाड़ सामान के प्रयोजनों के लिये या पुलिस यान, केवल तब बहु–ध्वनि भौंपू/भौंपू सायरन और बहु–रंग चमकने वाली बत्तीयां अलार्म संचालित करेगा जब यान आपातकालीन सेवाओं पर बुलाए जाने पर प्रतिक्रिया दे रही है।

(2) एक आपातकालीन यान, जब उसकी बहु–ध्वनि भौंपू और जलती–बुझती रोशनी चलती है, अन्य यानों द्वारा उसे रास्ता देने का अधिकार होगा।

(3) किसी अत्यंत आपात स्थिति जैसे एक मानव जीवन को बचाने, किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य की गंभीर क्षति रोकने, अपराध रोकने या आवश्यक सेवाओं को नुकसान पहुंचने या आग बुझाने के मामले में, आपातकालीन यान का चालक बहु–ध्वनि भौंपू और जलती–बुझती रोशनी संचालित कर अत्यंत सावधानी, जिम्मेदारी के साथ कर सकता है–

(क) यातायात लाल बत्ती को पार कर सकता है,

(ख) विनिर्दिष्ट गति सीमा से अधिक गति में यान चला सकता है,

(ग) राजमार्ग पर यानों के ठहरने के स्थान पर यान चला सकता है,

(घ) किसी भी दिशा में यहां तक कि ''प्रवेश निषिद्ध'' या किसी ''एक–तरफा'' सड़क पर यान चला सकता है।

(4) आपातकालीन यानों के अंतर्गत उप–विनियम (1) में निर्दिष्ट रूप से इस प्रकार प्राथमिकता दी जाएगी–

(ड.) सबसे पहले, अग्निशमन यान को,

(च) दूसरे, एम्बुलेंस को,

(छ) तीसरे, पुलिस यान सेवा को, तथा

(ज) चौथे, राज्य सरकार द्वारा नामित किये गये किसी भी अन्य यान को आपात यान प्रबंधन यान के रूप में जैसे आवश्यक सार्वजनिक सेवाएं, पानी और बिजली की आपूर्ति या सार्वजनिक परिवहन यान।

(5) जब एक आपातकालीन यान, अपने बहु–ध्वनि भौंपू ओर जलती–बुझती रोशनी चालू कर किसी यान को पिछालन करता है, या किसी अन्य यान के मार्ग में पहुंचता या प्रवेश करता है, जो व्यक्ति कथित यान चला या सवारी कर रहा है, जब तक उसे पुलिस अधिकारी द्वारा निर्देशित नहीं कर दिया जाता तब तक वह–

(क) आपातकालीन यान से रास्ते का अधिकार प्राप्त नहीं करेगा, अपने यान को बांई ओर जितना व्यवहारिक रूप से संभव हो सकता है कम से कम समय में सड़क के किनारे तक ले जाएगा

(ख) यान को रोक देगा, यदि आवश्यक लगता है, और जब तक आपातकालीन यान वहां से निकल नहीं जाता वह उसी स्थिति में स्थिर रूका रहेगा।

TRAFFIC POINT

(6) चालक, जब तक आपातकालीन यान के चालक दल द्वारा निर्देशित नहीं कर दिया जाता, आपातकालीन यान जिसमें बहु–ध्वनि भौंपू और जलती–बुझती रोशनी दोनों काम कर रही है उनसे कम से कम पचास मीटर की दूरी बनाए रखेगा।

(7) सड़क के रखरखाव या सार्वजनिक उपयोगिता के अनुरक्षण यानों को सड़क मार्ग पर खड़ा किया जा सकता है, यदि आवश्यकता है, खतरों की चेतावनी लाइटों को जलाकर और खड़े किये गये यान के पीछे पचास मीटर दूरी पर आवश्यक जानकारियों के साथ चेतावनी उपकरणों को स्थापित कर, और अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अत्यन्त सावधानी बरती जानी चाहिए।

13. यान खराब होना– किसी मामले में यदि दो पहियों से अधिक पहियों वाला कोई यान ऐसे स्थान पर खराब हो जाता है जहां से उसे एक स्थिर बाधा के रूप में पहचाना जा सकता है:–

(क) तुरन्त यान की खतरे को चेतावनी लाइटें चालू करनी होगी

(ख) तेज गति वाले राजमार्गो और प्रमुख सड़कों पर, खराब यान के पीछे पचास मीटर की दूरी पर परावर्ती यातायात चेतावनी त्रिकोण रखे जाएगे

(ग) जहां यान खड़ा है और सड़क पर आगे मोड़ है, मोड़ से पहले परावर्ती यातायात चेतावनी त्रिकोण रखे जाएंगे।

14. यान को रस्सी से खींचना–

(1) किसी भी दुपहिया मोटर यान को किसी अन्य यान द्वारा नहीं खींचा जाएगा।

(2) यान को खींचते समय अधिकतम गति पच्चीस किलो मीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होगी।

(3) खींचे जाने वाले यान और खींचने वाले यान की दूरी पांच मीटर से अधिक नहीं होगी

(4) अन्य सड़क उपयोगकताओं को खींचने वाली रस्सियां या चेन साफ दिखाई देनी चाहिए।

(5) खींचे जाने वाले यान के सामने और पीछे सफेद पृष्ठभूमि पर एक रेट्रो परावर्ती ''ऑन टो'' संकेतक प्रदर्शित किया जाएगा जिसके अक्षरों की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर से कम नहीं होगी और अक्षरों के बीच 2 सेंटीमीटर फासले सहित चौड़ाई 2 सेंटीमीटर होगी और चालक रात के समय, अंधेरे में या प्रतिकूल मौसम की स्थिति में यान को तब तक नहीं खींचेगा जब तक दोनों यानों की खतरे की चेतावनी लाइटें जला नहीं ली जाती है, परन्तु यदि खींचे जाने वाले यान की खतरे की चेतावनी लाइटें काम नहीं कर रही, उन्हें खींचा नहीं जाएगा जब तक उनकी खतरे की चेतावनी लाइटे जला नहीं दी जाती।

15. यान की लाइटें–

(1) चालक सांय काल, रात को और सुबह और जब दृष्यता बहुत कम होती है निर्दिष्ट प्रकाश उपकरणों का प्रयोग करेगा, परन्तु एक दुपहिया मोटर यान चालक दिन के दौरान भी अपी हैडलाइट को नीचे गिराकर जलाएगा।

TRAFFIC POLICE

(2) एक यान के लाइट उपकरण हर समय अच्छे काम करने की स्थिति में रखे जाने चाहिए ओर किसी भी प्रकाश व्यवस्था के उपकरण को किसी वस्तु या धूल आदि से छिपाया नहीं जाएगा।

(3) **कोई चालक**–

(क) केवल यान स्थल रोशनी जलाकर यान नहीं चलाएगा, जब तक उसे ऐसा वर्दी में एक पुलिस अधिकारी या किसी अन्य प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा निर्देशित नहीं किया जाता, तथा

(ख) अनुपयुक्त तरीके से या लंबी अवधि के लिये या अच्छी तरह से प्रकाशित सड़कों पर उच्च बीम का उपयोग नहीं करेगा।

(4) आनेवाले यान के निकट पहुंचने पर या जब किसी यान के पीछे बहुत निकट यान चलाते समय उच्च बीम को नीचे कर देगा।

(5) चालक कोहरे/फॉग लाइट केवल तब जलाएगा जब कोहरे, धूल, तूफान, बारिश या बर्फ गिरने के कारण दृश्यता बहुत ज्यादा प्रभावित होती है और वह भी केवल हैड लैंप को नीचे गिरा कर।

16. ट्रैक्टर और माल ढोने वाले यान चलानाः–

(1) ट्रैक्टर का चालक अपने साथ ट्रैक्टर पर किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं बिठायेगा, या न ही उसे बैठने की अनुज्ञा देगा।

(2) माल ढोने वाले यान में चालक के केबिन में बैठने वाले व्यक्तियों की संख्या यान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट व्यक्तियों की संख्या से अधिक नहीं होगी।

(3) माल ढोने वाले यान पर किसी भी व्यक्ति को किराये या पुरस्कार के लिए नहीं बिठाया जाएगा।

17. लेन अलग होना (लेन के भीतर लेन):–

शहरी क्षेत्रों में, चालीस किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति सीमा की सड़कों पर, जहॉ कही भी विषेष रूप से सड़क के संकेत द्वारा अनुमति दी जाती है, मोटर साइकिल चालक तीन और चार पहियों के यानी के बीच में धीरे–धीरे से आगे निकल सकते है जब मोटर साइकिल और अन्य यानों के बीच की गति का अंतर पंद्रह किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं है।

18. खतरनाक पदार्थो की ढुलाई पर प्रतिबंधः–

किसी भी सार्वजनिक सेवा के यान का कोई चालक किसी प्रकार का विस्फोटक या अत्यधिक ज्वलनषील या अन्यथा खतरनाक पदार्थ अपने साथ, या किसी अन्य व्यक्ति को ले जाने की अनुज्ञा नहीं देगा सिवाय ईधन और स्नेहको को छोड़कर जो यान चलाने के लिये आवष्यक है।

19. भार यान के बाहर भार उठा होना/निकलनाः–

(1) चालक हर समय यह सुनिष्चित करेगा कि भार नियंत्रित करने और लादने के उपकरण सहित भार को यान पर सही तरीके से इस प्रकार से व्यवस्थित/रखा और नियंत्रित किया गया है कि किसी अकस्मात आपात स्थिति में ब्रेक लगाने या अचानक

झटके के साथ यान के मुडने पर माल फिसलकर, गिरकर, घुमकर यान से न गिरे या अनावष्यक शोर उत्पन्न न करें।

(2) कोई भी चालक किसी सार्वजनिक स्थान पर ऐसे मोटर यान को चलाएगा जिस पर इस तरीके से माल लदा हुआ है कि जिसके कारण किसी व्यक्ति को खतरा पैदा होने की संभावना हो सकती है।

(3) भार या उसके किसी भाग के लिए, या यान में कोई अन्य वस्तु उसके ढांचे के बगल या आगे या पीछे बाहर की ओर नहीं निकलेगी, या यान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में निर्दिष्ट ऊचाई या भार की सीमा से अधिक नहीं होगी।

20. **रजिस्ट्रीकरण प्लेट**–

(1) सार्वजनिक सड़क पर अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विर्निदिष्ट रजिस्ट्रीककृत प्लेट प्रदर्षित किये बिना कोई भी यान चलाया या खंडा नहीं किया जायेगा।

(2) यान के आगे और पीछे पंजीकृत प्लेटें स्पष्ट रूप से दृष्य और सुपाठय होंगी और इन रजिस्ट्रीकृत प्लेटों पर कोई भी वस्तु या धूल/गंदगी उसकी स्पष्ट दृष्यता में अवरोध उत्पन्न नहीं करेगी।

(3) रजिस्ट्रीकृत प्लेटों पर रजिस्ट्रीकरण संख्या को छोड़कर कोई अक्षर, शब्द, आकृति, चित्र या प्रतीक प्रदर्षित या गढ़े या लिखे नहीं जाएगे।

(4) मोटर यान पर कोई भार या अन्य वस्तुओं को इस तरह से नहीं रखा जाएगा जिससे पूरी तरह या आंषिक रूप से रजिस्ट्रीकरण प्लेटें छिप जाए।

21. **मोबाइल टेलीफोन और संचार युक्तियों का उपयोग**:–

(1) चालक हाथ में पकड़े जाने वाले मोबाइल फोन या अन्य संचार उपकरण का उपयोग नहीं करेगा।

(2) कोई प्रषिक्षक या पर्यवेक्षक नौसीखिया चालक को प्रषिक्षण या पर्यवेक्षण करते समय मोबाइल फोन या अन्य संचार उपकरणों का उपयोग नहीं करेगा।

22. **दस्तावेजों का प्रस्तुतिकरण**:–

(1) एक परिवहन यान का चालक हमेषा अपने साथ मूल रूप में निम्नलिखित दस्तावेज रखेगा, सिवाय उन दस्तावेजों को छोड़कर जिन्हें प्राधिकृत व्यक्ति या प्राधिकरण द्वारा जब्त किया हो सकता है, अर्थात:–

(क) चालन अनुज्ञप्ति,

(ख) कराधान प्रमाण पत्र,

(ग) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र,

(घ) बीमा प्रमाण पत्र,

(ड.) स्वास्थ्य प्रमाणपत्र और

(च) प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र

(2) खतरनाक या असुरक्षित माल परिवहन करने वाले यानों के चालक अपने साथ केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियमों 132 और 133 में निर्दिष्ट दस्तावेज रखेगें।

(3) गैर–परिवहन यान के चालक अपने साथ हमेषा रखेंगे–

(क) चालक अनुज्ञप्ति और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, और

(ख) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र और बीमा प्रमाण पत्र या उसकी प्रतिलिपि।

(4) यान का चालक, वर्दी में पुलिस अधिकारी, मोटर यान विभाग के अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा मांग करने पर, निरीक्षण के लिये अपने दस्तावेज प्रस्तुत करेगा,

परंतु एक चालक, यदि इनमें से कोई भी दस्तावेज पहले से ही प्रस्तुत कर चुका है या किसी अधिकारी या प्राधिकरण द्वारा अधिनियम या उसके निहित बनाए नियमों के अधीन जबत किया गया है या किसी अन्य लागू अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया है, कथित दस्तावेज के बदले, कथित अधिकारी या प्राधिकरण द्वारा उस संबंध में एक रसीद या अन्य पावती जारी की जाएगी,

परंतु यह कि जहां रजिस्ट्रीकरण का मूल प्रमाण पत्र या उप–विनियम (3) के खंड (ख) में निर्दिष्ट बीमा प्रमाण पत्र चालक के पास उपलब्ध नहीं है, यान का स्वामी या चालक सक्षम प्राधिकारी के समक्ष कथित दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे, जिसके द्वारा पंद्रह दिनों के भीतर दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देष दिये गये थे, यदि प्राधिकरण द्वारा वह आवष्यक है।

****

TRAFFIC POLICE

6. पैदल यात्री, साइकिल चालक और स्कूल बस के लिए सुरक्षा सुझाव

पैदल चलने वाले असुरक्षित सड़क उपयोगकर्त्ता समूह में से एक हैं। सड़क पर सुरक्षित रहने के लिए उन्हें चाहिए कि वे सड़क की सरंचनात्मक ढांचागत सुविधाओं का पूरा उपयोग करें। सड़क पार करने के लिए सबवे (तलमार्ग), जेबरा क्रॉसिंग, फुट ओवर ब्रिज का जरूर उपयोग करें। सड़क पार करने के शॉट कट या आसान विकल्प खतरनाक होते है और उन्हें नहीं अपनाएं।

सड़क पर निम्नलिखित सामान्य तरीके आपको सुरक्षित रखेंगेः–

- सामने से आ रहे यातायात को देखते हुए ध्यानपूर्वक चलें।
- सड़क पार करते समय कभी यह मानकर नहीं चलें कि ड्राइवर ने आपको देख लिया है। अपने जीवन की रक्षा आपकी जिम्मेदारी है।
- जहां ड्राइवर नहीं देख पाए, वहां सड़क पार न करें।
- पार करने से पहले यातायत और आपके बीच उपयुक्त दूरी होने का इंतजार करें।
- डिवाइडर रेलिंग्स के ऊपर से कभी भी न कूदें। आप लड़खड़ाकर वाहनों पर गिर सकते है।
- बच्चों के साथ सड़क पार करते समय उनका हाथ थामकर रखें।
- सुबह पैदल सैर करने और दौड़ने के लिए सड़क के इस्तेमाल से बचे।
- चढ़ाई पर या टेढ़ा रास्ता पार करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें।
- पार्क की गई कारों के बीच रास्ता पार न करें।
- सबसे छोटा ओर सबसे सीधा मार्ग द्वारा सड़क पार करें, समय की बचत व सुरक्षा हेतु।

बच्चों को सड़क पार करने का सुरक्षित आचरण सिखाएं

10 वर्ष की आयु तक बच्चे स्वयं को सुरक्षित रखने के कौशल तथा क्षमताओं को विकसित नहीं कर पाते। इसलिए, यह अत्यंत आवश्यक है कि जब कभी बच्चे बाहर निकल कर यातायात के आसपास जाएं, तो उनके परिवार का कोई वयस्क सदस्य अनिवार्य रूप से उनके साथ हो। सड़क पार करते समय हर परिस्थिति में व्यस्क को बच्चे का हाथ पकड़ कर रखना चाहिए।

- यह अनिवार्य है कि आप अपने बच्चे को छोटी आयु से ही सिखाएंः सड़क पार करने से पूर्व **रूकें, देखें, सुनें और सोचने–समझने** के पश्चात ही सड़क पार करें।
- पार करने से पूर्व फुटपाथ के किनारे से एक कदम पीछे ही रूकें।
- आते जाते यातायात पर निगाह रखने के लिए सभी दिशाओं की ओर देखें। अपने बच्चों को भी सड़क पार करते समय सभी दिशाओं में देखने के लिए प्रोत्साहित करें न कि केवल बायें और दायें।
- आने व जाने वाले वाहनों की ध्वनि को भी सूनें।

- सोचे कि उस समय सड़क पार करना सुरक्षित है या नहीं। आने वाले वाहन के ड्राइवर के साथ आंखों का सीधा संपर्क रखें ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि उसने आपको देख लिया है।
- सड़क पार करते समय अपना चेहरा आने वाले यातायात की ओर ही रखे और वाहनों की ध्वनि को सुनते रहें
- बच्चे हमेशा बड़ों का अनुसरण करते है, इसलिए उनके समक्ष अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करें और हर बार सड़क पार करते समय हमेशा **रूकें, देखें, सुनें और सोचें।**

साइकिल सबसे लोकप्रिय और व्यापक इस्तेमाल का गैर–मोटरीकृत वाहन है, इसलिए साइकिल चलाने वाले व्यक्ति को यातायात के नियमों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। किसी भी वयस्क व्यक्ति की मौजूदगी में पार्क या खेल के मैदान जैसे सुरक्षित स्थानों पर ही चलाना सीखें।

हमेशाः–

- साइकिल को सुचारू स्थिति में रखें। चलाने से पहले ब्रेक, टायर, हवा के दबाव, घंटी, लाइट और चेन की जांच करें।
- यातायात नियमों का पालन करें। मुड़ते समय यातायात पर नजर डालें और हाथ से संकेत दे।
- साइकिल पर क्षमता से अधिक भार न लादें। साइकिल एक या अधिकतम दो व्यक्तियों के बैठने के लिए होती है।
- सड़क के बायी ओर चलें।
- ओवरटेकिंग से बचें। यदि सड़क संकरी हो तो ''एक कतार'' में ही रहें।
- सड़क पर कलाबाजी न करें। हैंडल के दोनों डंडों पर अपने हाथ रखें।
- यदि उपलब्ध हो तो सिर्फ साइकिल मार्गो का ही उपयोग करें।
- सड़क पर हमेशा चौकस रहें।
- रात को चटकीले रंग के कपड़े पहनें और चमकती लाइट रखें।
- साइकिल पर रिफ्लेक्टिव (परावर्तक) टेप लगाएं, ताकि वह रात में भी दिखाई दें।

स्कूल बस की सुरक्षा सभी अभिभावकों, शिक्षकों और बस स्टाफ की जिम्मेवारी है। उनकी जिम्मेदारियां सिर्फ बस स्टॉप पर ही समाप्त नहीं हो जाती। हमें अपने बच्चों को समुचित और सुरक्षित ढंग से स्कूल बस के उपयोग के बारे में सिखाना चाहिए।

बच्चों को यह सिखाएं जब वे स्कूल बस में चढ़ रहे हैः–

- जल्दबाजी न करें, बस के रूकने का इंतजार करें।
- एक कतार में रहकर बस में प्रवेश करें।
- रेलिंग पकड़कर बस में प्रवेश करें।
- देख लें कि आपका बैग या कपड़े आदि कहीं भी न फंसे।

- सीधे अपनी सीट पर जाकर बैठ जाएं।

बस में यात्रा करते हुएः–

- सीट पर सही ढंग से बैठें और चेहरा सामने रखें।
- अपने शरीर का कोई भी अंग बस से बाहर न निकालें।
- पायदान पर यात्रा न करें।
- शोरगुल न करें और ड्राइवर का ध्यान न बटाएं।
- ड्राइवर और कंडक्टर के निर्देर्शो का पालन करें।

बस से उतरते समयः–

- जल्दबाजी न करें, बस रूकने का इंतजार करें।
- रेलिंग का उपयोग करते हुए बस से उतरें।
- बस के अगले दरवाजे से ही बाहर निकलें।
- उतरते समय सुनिश्चित करें कि ड्राइवर आपको देख सकें।
- खोई चीजें वापस लेने के लिए बस के नीचे न जाएं।
- बस के पीछे न चलें, जहां ड्राइवर नहीं देख पाएं।

****

TRAFFIC POLICE

7. सामान्य गलतियाँ सुधारें, ड्राइविंग बेहतर करें

1. **ध्यान खोना–ध्यान बंटना**
    - शांत बने रहें और ड्राइविंग पर पूरी तरह ध्यान केद्रित करें।
    - अपने बाकी कार्ये पर नही, बल्कि अपनी यात्रा पर ध्यान केद्रित करें।
2. **निद्रा अवस्था में ड्राइविंग**
    - समय–समय पर या आवश्यकतानुसार रूकें/विश्राम करें।
    - सुनिश्चित करें कि लंबे सफर से पहले पर्याप्त विश्राम लें।
3. **कार के भीतर ध्यान बंटना (सेल फोन, रेडियो, यात्री)**
    - ड्राइविंग करते समय सेल फोन के ईस्तेमाल से बचें।
    - यात्रा शुरू करने से पहले यात्रा की योजना बनाएं और उसका अध्ययन करें।
4. **मौसम की प्रतिकूल स्थितियों के मुताबिक चलने में विफलता**
    - वर्षा के दौरान गति कम करें।
    - वाहनों के बीच उचित दूरी बना कर रखें।
    - कम दिखाई देने पर परिस्थिति के अनुसार ध्यानपूर्वक गाड़ी चलाएं।
5. **उदंडतापूर्वक ड्राइविंग (सामने के वाहन के बहुत नजदीक गाड़ी चलाना, लाल बत्तियां और ठहरने के चिन्ह को लांघना)**
    - यात्रा के लिए पर्याप्त समय दें।
    - शांत रहें और सुरक्षित गाड़ी चलाएं।
6. **अन्य ड्राइवरों के इरादों का अनुमान लगाएं**
    - रक्षात्मक तरीके से गाड़ी चलाएं।
    - अचानक होने वाली घटना टालने के लिए सुरक्षा उपाय अपनाएं।
    - अपने इरादे जताएं, मोड़ पर सिग्नल आदि का इस्तेमाल करें।
    - यातायात चिन्हों का पालन करें।
    - याद रखें कि आदर्श स्थितियों में गति सीमा एक निर्धारित कानून सीमा होती है, मगर परिवर्तनों के लिए तैयार रहें।
7. **आसानी से दिखाई न पड़ने वाले स्थानों की जांच किए बिना लेन बदलना**
    - सिग्नल दें, शीशे देखते हुए, सरसरी निगाह डालें।
    - धीरे–धीरे लेन बदलें।
8. **दुःखी अवस्था में गाड़ी चलाना**
    - इससे बचें क्योंकि यह नशे की अवस्था में गाड़ी चलाने के समान है।
9. **वाहन के आवश्यक रखरखाव की अनदेखी करना (ब्रेक लाइट, घिसे हुए टायर्स आदि)**
    - प्रत्येक सप्ताह रखरखाव की जांच करें।
    - प्रत्येक 15000 कि0मी0 पर ब्रेक पैड्स बदलें।
    - घिसे हुए टायर बदलें।

****

8. कठिन परिस्थितियों में ड्राइविंग

कोहरा

हमेशा चौकस रहे और निम्नलिखित ऐहतियाती कदम उठाएंः–

- कोहरे में हमेशा धीमी गति से गाड़ी को चलाएं।
- हेडलाइट ऑन और नीची (लो) बीम मोड में रखें।
- सुनिश्चित करें कि दूसरों को आप दिखाई दे रहे है। वाहन के फॉग लैम्प और पार्किंग लाइट लॉन करें।
- डिफ्रोस्टर और विंडस्क्रीन वाइपर का इस्तेमाल करें।
- वाहनों के बीच सुरक्षित दूरी बनाए रखें।
- अगर गाड़ी चलाना असम्भव हो तो उसे किनारे पर खड़ी करें और सारे इंडीकेटर ऑन कर दें।

पहाड़ पर ड्राइविंग

पहाड़ों पर ड्राइविंग के दौरान ड्राइवर को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिएः–

- यदि आप निपुण ड्राइवर नहीं है तो पहाड़ी सड़कों पर वाहन न चलाएं।
- गति सीमा का हमेशा पालन करें व मोड़ पर गति कम करें।
- हमेशा चौकस रहे और कार स्टीरियों आदि के कारण ध्यान भंग न होने दें।
- पहाड़ पर चढ़ने वाले यातायात को हमेशा रास्ता दें।
- कभी भी शराब पीकर वाहन न चलाएं।
- मोड़, घुमाव और पुल आदि पर ओवरटेक न करें।
- वाहन पर क्षमता से अधिक लदान न करें।
- मोड़ और कैंची मोड़ पर क्लच पैडल के इस्तेमाल से बचें।
- पहाड़ से उतरते समय वाहन को न्यूट्रल में न चलाएं।
- मोड़ पर हमेशा हॉर्न बजाए।
- पहाड़ पर यात्रा से पहले हमेशा वाहन, खासकर ब्रेक्स और टायर, की जांच कर लें।

रात में ड्राइविंग–

रात में दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं अधिक होती है। अंधेरे में ड्राइविंग खतरनाक होती है और चुनौतीपूर्ण भी, क्योंकि रात में आपकी दृश्यता दूरी कम हो जाती है।

रात में सुरक्षित ड्राइविंग के उपायः–

- सुनिश्चित कर लें कि वाहन की सभी हेडलाइट, टेललाइट तथा दिशा संकेतक सुचारू रूप से कार्य कर रहे है।
- रात के समय वाहन धीमी गति से चलाएं।
- अपने वाहन तथा अन्य वाहनों के बीच अधिक दूरी बनाकर चलें।

- उच्च बीम का उपयोग केवल अंधेरे या दूरस्थ क्षेत्रों में करें जहां आप सड़क की सतह को आगे नहीं देख सकते है।
- सुप्रकाशित मार्गो पर लो–बीम पर गाड़ी चलाएं अर्थात हेडलाइट को डिप डाउन पर रखें।
- धुंध के मौसम में सदैव लो–बीम पर गाड़ी चलाएं।
- रात के समय सड़क पर कभी भी वाहन को खड़ा न करें क्योंकि रात्रि में दूर से आने वाले वाहन को यह पता नहीं चल पाता है कि सामने वाला वाहन खड़ा है या चल रहा है तब तक काफी देर हो चुकी होती है।
- कभी भी नशे में गाड़ी न चलाएं। शराब व्यक्ति के नेत्रों की क्षमता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है।
- रात के समय जब रेट्रो रिफलेक्टिव टेप पर प्रकाश पड़ता है तो वह चमकती है। अब सड़क पर वाहन खराब होने पर उसके पीछे रेट्रो ट्राइएंगल रखना अनिवार्य है। रेट्रो रिफलेक्टिव टेप आपकी दृश्यता को सुनिश्चित करता है फिर चाहे वाहनों की टेल लाइट खराब ही क्यों न हो। अपनी व वाहन की सुरक्षा के लिए रात के समय इसका प्रयोग अवश्य करें।

वर्षा के दौरान ड्राइविंग

वर्षा के मौसम में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्षा के दौरान या बर्फ पड़ते समय वाहन की ब्रेकें अपनी क्षमता से कम काम करती हैं। वर्षा के समय निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान रखना चाहिएः–

- वाहन को धीमी गति से चलाएं।
- बार–बार ब्रेक पैडल को दबाते रहें ताकि पता चल सकें कि ब्रेक सही काम कर रही है या नही।
- अपने विंड–स्क्रीन वाइपरों तथा डैमिस्टरों का निरंतर प्रयोग करते रहे।
- कई बार बारिश के पानी तथा तेल के कारण सड़कें फिसलन भरी हो जाती है। इस प्रकार की स्थिति में वाहनों के फिसलने की संभावना बढ़ जाती है। दुपहिया वाहन चालकों को ऐसी स्थिति में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए।
- अपने वाहन तथा अन्य वाहनों के बीच की दूरी बढ़ा ले ताकि आवश्यकता पड़ने पर अपना वाहन रोकने के लिए समय व अंतर मिल सकें।
- तीखे मोड़ न काटें।
- यदि तेज वर्षा हो रही हो तो अपने ब्लिंकर ऑन रखें।
- पानी से भरी सड़कों पर वाहन सावधानीपूर्वक तथा धीमी गति से चलाएं क्योंकि सड़कों पर गड्ढे हो सकते हैं।

TRAFFIC POLICE

- यदि आपके वाहन में पावर ब्रेक नहीं है तो अपने वाहन को अधिक सावधानीपूर्वक तथा अत्यंत धीमी गति से चलाएं।
- जरूरी न हो तो ओवरटेकिंग न करें।
- अगर आप कुशल चालक नहीं है तो पहाड़ी सड़क पर बारिश के दौरान गाड़ी न चलाएं।
- सुनिश्चित कर लें कि आपके वाहन के टायर सही प्रकार से अनुरक्षित हों तथा उनका तला साफ व सही स्थिति में हो।
- अपने मड–फ्लेप को सही स्थिति में रखें।

****

TRAFFIC POLICE

9. सड़क दुर्घटना पीड़ित की मदद कर गुड समारिटन कैसे करें?

सड़क दुर्घटना के पीड़ित की जान चिकित्सा सहायता देकर या गुड समारिटन द्वारा गोल्डन ऑवर (स्वर्णिम घंटा) के भीतर अस्पताल पहुंचाकर बचाई जा सकती है।

आघात के बाद का पहला घंटा 'गोल्डन ऑवर' होता है। उस दौरान सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को तत्काल और समुचित प्राथमिक चिकित्सा दे, इससे उसका जीवन बचने की संभावना कई गुना बढ़कर चोट की गंभीरता कम हो जाती है। नेक व्यक्ति (गुड समारिटन) के अधिकार

सीएमवी (12वॉ संशोधन) नियम, 2020 के 168 नियम के अनुसारः–

1. ऐसा व्यक्ति, जो अधिनियम की धारा 134क के अनुसार नेक व्यक्ति है, का जो अधिकार होंगे उनका ब्यौरा इस अध्याय में निहित हैं और उनके साथ किसी भी धार्मिकता, राष्ट्रीयता, जातिगत या लैंगिकता के आधार पर भेदभाव किए बगैर सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाएगा।
2. एक नेक व्यक्ति, जिसने दुर्घटना के बारे में पुलिस को सूचित किया है या जो सड़क दुर्घटना के पीड़ित को अस्पताल ले गया है, को पुलिस या अस्पताल द्वारा आगे की किसी भी आवश्यकता के लिए रूकने को विवश नहीं किया जाएगा और उसे तुरंत स्थान छोड़ने की अनुमति होगी।
3. कोई भी पुलिस अधिकारी, कोई अन्य व्यक्ति, नेक व्यक्ति को उनका नाम, परिचय, पता या इस प्रकार का अन्य व्यक्तिगत ब्यौरा बताने के लिए बाध्य नहीं करेगा। परंतु नेक व्यक्ति स्वेच्छा से अपना नाम, पता और घायलल व्यक्ति (अगर जानने वाला) का नाम पुलिस अधिकारी को बता सकता है।
4. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, एक नेक व्यक्ति, जो किसी दुर्घटना पीड़ित को अस्पताल पहुंचाता है, को निम्नलिखित के लिए बाध्य नहीं किया जाएगाः–

   (क) चिकित्सा–विधि मामला प्रारूप के प्रयोजनार्थ सहित कोई भी व्यक्तिगत ब्यौरा जैसे उसका नाम, टेलीफोन नंबर और पता बताने के लिए,

   (ख) घायल व्यक्ति को अस्पताल में दाखिल करवाने के लिए संबंधित किसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए; या

   (ग) किसी घायल व्यक्ति के उपचार का चिकित्सीय व्यय वहन करने के लिए।

   परंतु यदि नेक व्यक्ति ने स्वेच्छा से अपना नाम बताया है और यदि वह ऐसा करने की इस प्रकार बांछा करता है, तो अस्पताल अपने आधिकारिक पत्र में ऐसे नेक व्यक्ति का नाम, पता, दुर्घटना का समय, तिथि, स्थान और यह पुष्टि करते हुए कि घायल व्यक्ति को उपर्युक्त व्यक्ति द्वारा लाया गया था, के रूप में अभिस्वीकृति प्रदान करेगा।

ट्रॉमा केन्द्रों की यह स्वीकार्य नीति है कि यदि चोट लगने के एक घंटे के भीतर, जिसे ''स्वर्णिम घंटा'' कहते है, आरंभिक स्वास्थ्य स्थिरता को बनाये रखने के लिए आधारभूत जीवन सहायक, प्रथम उपचार और द्रव्यों का प्रतिस्थापन प्रदान किया जाए तो अनेक पीड़ितों की जान को बचाया जा सकता है। इसके लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि इस प्रकार की आपदा की

स्थिति में उपचार के लिए निश्चित समयावधि के भीतर प्रशिक्षित कार्मिकों द्वारा आरंभिक स्थिरता, तीव्र परिवहन तथा चिकित्सा सुविधायें प्रदान की जाएं।

यह एक संभावना है कि एक घंटे में पीड़ित तक उचित चिकित्सा देखभाल नहीं पहूंचती है। ऐसे मामले में राहगीर और वहां मौजूद अन्य लोग (पहली सहायता करने वाले) घायल व्यक्ति को प्राथमिक चिकित्सा प्रदान कर सकते है। लेकिन, कई बार पीड़ित व्यक्ति की अनुचित ढंग से देखभाल करने से स्थिति बिगड़ जाती है। दुर्घटना पीड़ित की प्राथमिक चिकित्सा अधिक जटिल नहीं है, इसलिए हमें इसकी प्रक्रियाओं और ऐहतियातों के बारे में परिचित होना चाहिए।

दुर्घटना पीड़ित के इलाज की प्राथमिकताएं क्या हैः–

- श्वास में अवरोध (ऑक्सीजन न मिलना)
- हृदय के काम का एकदम से रूकना
- तीव्र रक्तस्राव (खून बहना)
- अन्य चोटें/बीमारियां

तत्काल आवश्यकता

संकटपूर्ण चार मिनट–किसी भी सड़क दुर्घटना में मौत का एक सबसे सामान्य कारण ऑक्सीजन की सप्लाई रूकना होता है। अधिकतर मामलों में इसका कारण वायु मार्ग का अवरूद्ध होना है। याद रखेः–

2. पहले स्थान को सुरक्षित बनाएं
3. घायलों को देखें
4. उनकी सहायता करें
5. मदद के लिए बुलाएं और बेहोश पीड़ितों को देखें

ए बी सी के नियम का अनुसरण करें

(a) एयरवे यानी वायु मार्ग–यानी सांस लेने का रास्ता खोलें

(b) ब्रीदिंग यानी सांस लेना–मुंह से मुंह में सांस फूंककर (रिससाइटेशन) जीवन को बहाल करने में मदद करें।

(c) सर्कुलेशन यानी रक्तसंचार–खून बहने से रोकें

a) एयरवे– वायु मार्ग यानी सांस लेने का रास्ता खोलें

- पीड़ित को धीरे से और सावधानीपूर्वक जमीन पर लिटाएं ताकि और चोट लगने से रोका जा सके।
- पीड़ित को एक ओर मोड़ें।
- गले, सीने और कमर पर कपड़े ढीले करें।
- सिर को पीछे की ओर चेहरा नीचे करते हुए झुकाएं, ताकि जीभ आगे आगे होकर खून और उल्टी बाहर आ सके।
- मुंह में लगी गंदगी, उल्टी, रक्त या टूटे दांत हटाएं।

TRAFFIC POLICE

b) ब्रीदिंग यानी सांस लेना– मुंह से मुंह में सांस फुंककर–(रिससाइटेशन) जीवन को बहाल करने में मदद करें।

- श्वसन बहाली–मुंह से मुंह में सांस छोड़ना–लेना। यदि पीड़ित सांस नहीं ले रहा है तो उसे माउथ–टू–माउथ रिससिटेशन दें।
- पीड़ित को पीठ की ओर लिटाएं और तत्काल मुंह से मुंह में सांस छोड़ें–लें।
- सिर को पीछे झुकाएं, जबड़ों को सहारा दें, गले से उंगलियां दूर रखें।
- मुंह से मुंह अच्छी तरह लगाएं ताकि आपके गाल पीड़ित के नाक पर रहें, सीना ऊपर उठने तक मुंह में फूंक मारे।
- अपना मुंह हटाएं, सीना ऊपर से नीचे जाने को देखें और नाक एवं मुंह से वायु निकलने को सुनें तथा महसूस करें।
- यदि सीना ऊपर नहीं उठता है तो अवरूद्ध वायु मार्ग की जांच करें।
- पीड़ित व्यक्ति का श्वसन बहाल होने तक मुंह से मुंह लगाकर सांस छोड़े–लें। पीड़ित वयस्क के लिए प्रत्येक चार सेकेंड और बच्चे के लिए प्रत्येक तीन सेकेंड पर मुंह में सांस छोड़ें–लें।

c) सर्कुलेशन यानी रक्तसंचार–खून बहने को रोकें

- खून बहने वाले घाव को साफ करें। कपड़े या बैंडेज के मोटे पैड की मदद से घाव पर सीधा दबाव डालकर खून बहना रोकें।
- जिन शारीरिक अंगों से खून बह रहा है, उसे रोकने के लिए उन अंगों को ऊंचा उठाएं।
- जिस जगह खून बह रहा है, वहां से बाहरी वस्तुएं हटाएं।
- घाव के चारों ओर पैड और बैंडेज लगाएं। हड्डियां टूटी दिखाई देने पर भी यही करें।

****

TRAFFIC POLICE

10. मोटर वाहन (संषोधन) अधिनियम, 2019–जुर्माने का प्रावधान

अनुच्छेद	उल्लंघन	जुर्माने का प्रावधान
177	सामान्य जुर्माना–उन अपराधों के लिए जहॉ कोई जुर्माना विषेष रूप से प्रदान नहीं किया गया है।	• पहला अपराध–रू0 500 तक का जुर्माना • दूसरा या बाद के अपराध–रू0 1,500 तक का जुर्माना
177क	धारा 118 के तहत सड़क विनियमों और अन्य विनियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना	• रू0 500 से कम नहीं होगा, लेकिन रू0 1,000 तक बढ़ाया जा सकता है।
178(1)	बिना टिकट यात्रा करने पर जुर्माना	• रू0 500 तक जुर्माना
179(1)	प्राधिकारियों के आदेषों की अवज्ञा के लिए जुर्माना	• रू0 2,000 तक जुर्माना
179(2)	जानकारी देने से मना करने पर जुर्माना	• 1 माह तक का कारावास और/या रू0 2,000 का जुर्माना
180	बिना लाइसेंस के वाहनों के अनाधिकृत उपयोग की अनुमति देने पर जुर्माना	• 3 महीने तक की कारावास और/या रू0 5,000 का जुर्माना
181	बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर जुर्माना	3 महीने तक का कारावास और/या रू0 5,000 का जुर्माना
182(1)	अयोग्यता के बावजूद ड्राइविंग के लिए जुर्माना	3 महीने तक की कारावास और/या रू0 10,000 का जुर्माना
182क(1)	मोटर वाहन और घटकों के निमार्ण, रखरखाव, बिक्री और परिवर्तन से संबंधित अपराधों के लिए जुर्माना	01 वर्ष तक का कारावास और/या प्रति वाहन रू0 1,00,000 का जुर्माना
182क(2)	दोषपूर्ण वाहनों के लिए जुर्माना	01 वर्ष तक का कारावास और/या रू0 1,00,00,00,000 का जुर्माना
182क(3)	नियमों के उल्लंघन में महत्वपूर्ण सुरक्षा घटक की बिक्री के लिए जुर्माना	01 वर्ष तक का कारावास और/या प्रति घटक रू0 1,00,000 का जुर्माना
182क(4)	नियमों के उल्लंघन में रेट्रोफिटिंग में बदलाव के लिए जुर्माना	06 महीने तक की कारावास और/या प्रति बदलाव रू0 5,000 का जुर्माना
182ख	ओवरसाइज वाहनों के लिए जुर्माना	• रू0 5,000 से रू0 10,000
183(1)	ओवर स्पीडिंग के लिए जुर्माना	• एलएमवी के लिए रू0 1000 से रू0 2,000 • मध्यम माल वाहनों या भारी माल वाहनों या भारी यात्री वाहनों के लिए रू0 2,000 से

TRAFFIC POLICE

		रू0 4,000 • बाद में दूसरा अपराध–ड्राइविंग लाइसेंस को जब्त करना
184	खतरनाक तरीक से वाहन चलाने पर जुर्माना	• पहला अपराध–06 महीने से 01 वर्ष तक की कारावास और/या रू0 1,000 से रू0 5,000 तक जुर्माना • बाद के अपराध (पहले अपराध से 03 वर्ष के भीतर)–02 वर्ष तक की कारावास और/या रू0 10,000 का जुर्माना
185	नशे में गाड़ी चलाने के लिए जुर्माना	• पहला अपराध–रू0 10,000 का जुर्माना और/या 06 महीने तक का कारावास • दूसरा और बाद का अपराध–रू0 15,000 का जुर्माना और/या 02 वर्ष तक कारावास
186	मानसिक या शारीरिक रूप से अयोग्य होने पर वाहन चलाने के लिए जुर्माना	• पहला अपराध–रू0 1,000 तक का जुर्माना • दूसरा और बाद का अपराध–रू0 2,000 तक का जुर्माना
187	दुर्घटना से संबंधित अपराधों के लिए जुर्माना (धारा 132(i), 133 और 134)	• पहला अपराध–रू0 5,000 का जुर्माना और/या 06 महीने तक का कारावास • दूसरा और बाद का अपराध–रू0 10,000 का जुर्माना और/या 01 वर्ष तक कारावास
189	रेस लगाने और तेज गति से वाहन चलाने के लिए सजा	• पहला अपराध–रू0 5,000 का जुर्माना और/या 03 महीने तक का कारावास • दूसरा अपराध–रू0 10,000 का जुर्माना और/या 01 साल तक कारावास
190(1)	दोष के साथ असुरक्षित स्थिति में वाहन के उपयोग के लिए जुर्माना	• पहला अपराध–रू0 1,500 का जुर्माना
190(1)	दोष के साथ असुरक्षित स्थिति में वाहन के उपयोग जिसके फलस्वरूप शारीरिक चोट या संपत्ति को नुकसान होता है, के लिए जुर्माना	• पहला अपराध–रू0 5,000 का जुर्माना और/या 03 महीने तक का कारावास • दूसरा अपराध–06 महीने तक की कारावास या रू0 10,000 रूपये

TRAFFIC POLICE

		तक का जुर्माना
190(2)	सड़क सुरक्षा, ध्वनि/वायु प्रदुषण मानको का उल्लंघन करने वाले वाहन चलाने पर जुर्माना	पहला अपराध–03 महीने तक की • कारावास और/या रू0 10,000 रूपये तक का जुर्माना और 03 महीने के लिए लाइसेंस रखने के लिए अयोग्यता • दूसरा अपराध–06 महीने तक की कारावास और/या रू0 10,000 रूपये तक का जुर्माना
190(3)	मानव जीवन के लिए खतरनाक/जोखिम वाले माल की ढुलाई के लिए जुर्माना	• पहला अपराध–रू0 10,000 का जुर्माना और/या 01 वर्ष तक का कारावास और 03 महीने के लिए लाइसेंस रखने के लिए अयोग्यता • दूसरा या बाद का अपराध– रू0 20,000 तक का जुर्माना और/या 03 वर्ष तक की कारावास
192(1)	बिना पंजीकरण वाहन के उपयोग के लिए जुर्माना	• पहला अपराध–रू0 2,000 से रू0 5,000 तक का जुर्माना • दूसरा या बाद का अपराध– जुर्माना रू0 5,000 से रू0 10,000 और/या 01 वर्ष तक की कारावास
192क(1)	बिना परमिट के वाहन का उपयोग करने पर जुर्माना	• पहला अपराध–06 महीने तक का कारावास और रू0 10,000 का जुर्माना • दूसरा अपराध– 06 महीने से 01 वर्ष तक की कारावास और/या रू0 10,000 रूपये का जुर्माना
192ख(1)	ऐसे मोटर वाहन के पंजीकरण के लिए आवेदन करने में विफलता	• वार्षिक सड़क कर का पांच गुना या मोटर वाहन के आजीवन कर का एक तिहाई जुर्माना, जो भी अधिक हो
192ख(2)	एक डीलर होने के नाते, नए मोटर वाहन के पंजीकरण के लिए आवेदन करने में विफलता	• वार्षिक सड़क कर का पंद्रह गुना या मोटर वाहन के आजीवन कर का एक तिहाई जुर्माना, जो भी अधिक हो
192ख(3)	एक मालिक होने के नाते किसी भी सामग्री विषेष, या उत्कीर्ण इंजन नंबर या चेसिस नंबर में त्रुटि वाले मोटर वाहन के पंजीकरण के लिए आवेदन	06 महीने से 01 वर्ष तक की कारावास और वार्षिक सड़क कर की राशि के दस गुना या मोटर वाहन के आजीवन कर का दो–तिहाई, जो

TRAFFIC POLICE

		भी अधिक हो, के बराबर जुर्माना
192ख(4)	एक डीलर होने के नाते किसी भी सामग्री विषेष, या उत्कीर्ण इंजन नंबर या चेसिस नंबर में त्रुटि वाले मोटर वाहन के पंजीकरण के लिए आवेदन	06 महीने से 01 वर्ष तक की कारावास और वार्षिक सड़क कर की राषि के दस गुना या मोटर वाहन के आजीवन कर का दो–तिहाई, जो भी अधिक हो, के बराबर जुर्माना
193(1)	एजेंटों और प्रचारकों के लिए सजा	• पहला अपराध–रू0 1,000 का जुर्माना • दूसरा या बाद का अपराध– 06 महीने तक का कारावास और/या रू0 2,000 का जुर्माना
193(2)	एक संकलनकर्ता के रूप में कार्य करते हुए धारा 93 के प्रावधानों का उल्लंघन	• जुर्माना–रू0 25,000 से रू0 1,00,000
193(3)	एक संकलनकर्ता के रूप में कार्य करते हुए धारा 93 के प्रावधानों का उल्लंघन	• रू0 5,000 का जुर्माना
194(1)	ओवरलोडिंग के लिए सजा	रू0 20,000 और अतिरिक्त भार के भार उतारने के लिए शुल्क के भुगतान के लिए देयता के साथ अतिरिक्त भार के प्रति टन अतिरिक्त रू0 2,000 का जुर्माना
194(1क)	भार के पार्ष्व/आगे/पीछे विस्तार के लिए जुर्माना	रू0 20,000 का जुर्माना और भार उतारने के लिए शुल्क
194(2)	तौल के लिए वाहन को रोकने और जमा करने से मना करने पर सजा	रू0 40,000 का जुर्माना
194क	अधिक यात्रियों के वहन के लिए जुर्माना	रू0 200 प्रति अतिरिक्त यात्री
194ख(1)	सेफ्टी बेल्ट और बच्चों को बैठाने में विफल रहने पर सजा	रू0 1,000 का जुर्माना
194ख(2)	एक मोटर वाहन चलाता है या किसी ऐसे बच्चे के साथ मोटर वाहन चलाता है या चलाने की अनुमति देता है, जो चौदह वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, सुरक्षा बेल्ट या बाल सुरक्षा प्रणाली द्वारा सुरक्षित नहीं है।	रू0 1,000 का जुर्माना
194ग	मोटर साइकिल चालकों और पिछली सीट पर सवार लोगों के लिए सुरक्षा उपायों के उल्लंघन के लिए जुर्माना	रू0 1,000 का जुर्माना और 03 महीने के लिए लाइसेंस रखने की अयोग्यता
194घ	हेलमेट न पहनने पर जुर्माना	रू0 1,000 का जुर्माना और 03 महीने के लिए लाइसेंस रखने की अयोग्यता
194ड.	आपातकालीन वाहनों को निर्बाध	रू0 10,000 का जुर्माना और/या

Traffic POLICE

	आवागमन की अनुमति देने में विफलता के लिए जुर्माना	06 महीने तक कारावास
194च	हॉर्न के इस्तेमाल पर जुर्माना	• पहला अपराध–रू0 1,000 का जुर्माना • दूसरा या बाद का अपराध–रू0 2,000 का जुर्माना
196	बिना बीमा के वाहन चलाने पर सजा	• पहला अपराध–रू0 2,000 का जुर्माना और/या 03 महीने तक कारावास • दूसरा अपराध– रू0 4,000 का जुर्माना और/या 03 महीने तक कारावास
197 (1)	वैध प्राधिकरण के बिना वाहन ले जाने पर जुर्माना	रू0 5,000 का जुर्माना और/या 03 महीने तक कारावास
197 (2)	बलपूर्वक मोटर वाहन जब्त करना	• रू0 5,000 का जुर्माना और/या 03 महीने तक कारावास
198	वाहन के साथ अनधिकृत छेड़छाड़ के लिए जुर्माना	रू0 1,000 का जुर्माना
198क	सड़क डिजाइन, निर्माण और रखरखाव के मानकों का पालन करने में विफलता के लिए जुर्माना	रू0 1,00,000 तक का जुर्माना
199क	किशोरों द्वारा किए गए अपराधों के लिए जुर्माना	• अभिभावक मालिक को दोषी माना जाएगा। • रू0 25,000 का जुर्माना और 03 वर्ष तक का कारावास और 12 महीने के लिए मोटर वाहन का पंजीकरण रदद करना। • किशोर षिक्षार्थी लाइसेंस प्राप्त करने के लिए 25 वर्ष की आयु तक अपात्र
199ख	जुर्माने का संषोधन	जुर्माने की वार्षिक वृद्धि 10% तक
201	यातायात के सुप्रवाह में बाधा उत्पन्न करने पर जुर्माना	रू0 500 तक का जुर्माना।

****

TRAFFIC POLICE

11. बिहार पुलिस को प्रदत्त अधिकार

अपर पुलिस महानिदेषक (यातायात), बिहार, पटना के पत्रांक–311, दिनांक–17.05.2023 के माध्यम से निर्गत प्रतिवेदन के आलोक में सम्यक विचारोपरांत बिहार राज्य के सभी जिलों में पदस्थापित निम्नांकित पुलिस पदाधिकारियों को मोटरयान अधिनियम, 1988–सहपठित–मोटरयान (संषोधन) अधिनियम 2019 के तहत निम्नांकित धाराओं में विनिर्दिष्ट दण्डनीय अपराधों के लिए परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या–4764, दिनांक–21.06.2023 के द्वारा अगले आदेष तक शमन की शक्ति प्रदान की गयी है।

प्रदत्त अधिकार

पदनाम	धारा
पुलिस अवर निरीक्षक/ओ0पी0 प्रभारी/थानाध्यक्ष एवं उनसे वरीय पुलिस पदाधिकारी	177, 178, 179, 180, 181, 182(1), 183(1), 184, 186, 189, 190(2), 194A, 194B, 194C, 194D, 194E,194F,196एवं धारा–201

****

TRAFFIC POLICE